कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0 / यू0जी0–3 / 2023 / लखनऊ:दिनांक 27 अक्टूबर, 2023

यू0पी0 नीट यू0जी0–2023 के अन्तर्गत द्वितीय स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से बी0डी0एस0 पाठ्यकम में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश

1. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टरों पर सम्पन्न की जायेगी।
2. **द्वितीय स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर कोई भी विचार नही किया जायेगा।**
3. निजी क्षेत्र के कालेज में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, (Director General, Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, प्रवेश के समय नोडल सेन्टर पर जमा कराना होगा।
4. निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित डेण्टल कालेज प्रबन्धन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम लिया जाता है, तो उसके लिये वह स्वतंत्र है।
5. शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क संबंधी शासनादेश तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फी–स्ट्रक्चर वेबसाइट ***www.dgme.up.gov.in*** एवं ***https://upneet.gov.in*** पर उपलब्ध है।
6. **यदि कोई अभ्यर्थी द्वितीय स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड के आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट यू0जी0 कांउसिलिंग 2024–25 के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।**
7. अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** एवं ***www.dgme.up.gov.in*** का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक

संख्या–एम0ई0 / यू0जी0–3 / 2023 / 2606 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना वेब–साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. समस्त नोडल सेन्टर (प्रवेश) यू0पी0 नीट यू0जी0–2023।
3. समस्त निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज, उ0प्र0।

महानिदेशक